(36)

पत्रांक–23 / का0प्र0–05–01 / 2025,सा0प्र0..802.. /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

सात निश्चय
अत्यावश्यक

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–12.01.26

विषय :– **सात निश्चय (''क्षेत्रीय प्रशासन में कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियों के पदस्थापन'') से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– **बिहार विकास मिशन का पत्रांक–1390, दिनांक–17.12.2024**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक–**564**, दिनांक–**06.04.2021** द्वारा आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 (2020–25) की योजना **''सशक्त महिला, सक्षम महिला''**– क्षेत्रीय प्रशासन में कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियों के पदस्थापन का दायित्व सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया है।

2. उक्त के आलोक में वेबपोर्टल (http://wrmis.bihar.gov.in/ nischay) पर सूचना प्रत्येक माह ऑनलाईन अद्यतन कर उसकी एक वेबप्रति सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध विभिन्न पत्रों के माध्यम से किया गया है, परन्तु कतिपय विभागों से वांछित सूचना अद्यतन अप्राप्त है। ज्ञातव्य हो कि अभी भी क्षेत्रीय प्रशासन में कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियों के पदस्थापन आरक्षण मानकों के अनुरूप परिलक्षित नहीं होता है।

3. उल्लेखनीय है कि प्रसंगवर्णित पत्र द्वारा दिनांक–24.06.2025 को अध्यक्ष, उप मिशन, बिहार विकास मिशन–सह–विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में संपन्न बैठक के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि –

''वैसे विभाग जहाँ महिलाओं की भागीदारी निर्धारित आरक्षण से कम हो वहां कार्यालय प्रधान के पदों पर महिला पदाधिकारियों का पदस्थापन आरक्षण मानकों के अनुरूप किये जाने का यथासंभव प्रयास किया जाए।।''

4. अतएव पुनः अनुरोध है कि क्षेत्रीय प्रशासन में कार्यालय प्रधान के पद पर महिला पदाधिकारियों के पदस्थापन (अनुलग्नक संख्या–05) से संबंधित सूचना मासिक आधार पर अद्यतन कर इसकी एक वेबप्रति सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अध्यक्ष उप मिशन, बिहार विकास मिशन–सह–विकास आयुक्त से प्राप्त निदेश का ससमय अनुपालन किया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

12/01/26.

(रजनीश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।